जन आधार

जन आधार

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः—एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 297 दिनांकः 31-01-2025

कार्यकारिणी समिति की 10वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की 10वीं बैठक विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2025 को प्रातः 11.30 बजे योजना भवन के भू–तल स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
1.			
(i)	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम को शीघ्र पुनः चालू कराते हुए उपयोगी बनाये जाने हेतु ✓ आगामी कार्यवाही के संबंध में निर्णय लेने हेतु शासन सचिव, आयोजना तथा प्रबंध निदेशक, आरआईएसएल के मध्य शीघ्र ही एक मीटिंग आयोजित कराई जानी है। ✓ कार्यकारी निदेशक, आरआईएसएल फाईल बना कर शासन सचिव, आयोजना तथा प्रबंध निदेशक, आरआईएसएल को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम की वर्तमान उपयोगिता हेतु आरआईएसएल द्वारा की गई आंतरिक बैठक दिनांक 06.09.2024 के कार्यवाही विवरण का सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर जन आधार प्राधिकरण को अवगत कराया जाये एवं इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करावें।	कार्यकारी निदेशक, राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लिमिटेड
(ii)	व्यवहारिक डीबीटी वाली योजनाओं को जन आधार से जोड़ने हेतु चिन्हित कर पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जन आधार से जोड़ने की कार्यवाही की जानी हैं।	विभिन्न विभागों से नियमित बैठकें की जा रही है एवं पत्राचार किया जा रहा है। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
(iii)	जन आधार नामांकन में दर्ज सूचनाओं का संख्यात्मक रूप में जन आधार पोर्टल पर प्रदर्शन हेतु निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किए गए 7 प्रारूपों में से – • प्रारूप 1 से 4 व 7 का अनुमोदन किया गया। • प्रारूप 5 (जाति संबंधित जानकारी) पर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन लिया जाना है। प्रारूप 6 (आय संबंधी) का प्रदर्शन नहीं किया जाना है।	आवश्यक संशोधन कर दिये गये। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
(iv)	जन आधार कार्ड के मुद्रण व वितरण से संबंधित पीडी खाते में शेष रही राशि को अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में	वित्त विभाग को राशि रु. 1089.25 लाख [illegible] गई। अतः अनुपालना पूर्ण	

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13338030

जन आधार

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
	लेने/लौटाने के लिए वित्त विभाग को पत्रावली भिजवायी जानी है।		
(v)	ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले जन आधार के प्रशासनिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति जानने हेतु निम्न प्रकार से ग्रामों का चयन कर रेन्डम चैकिंग ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा की जानी है– ✓ जिस ब्लॉक में ग्राम पंचायतें 0–20 है वहां 4 ग्राम पंचायतों में, ✓ जिस ब्लॉक में ग्राम पंचायतें 21–35 है वहां 6 ग्राम पंचायतों में तथा जिस ब्लॉक में ग्राम पंचायतें 35 से अधिक है वहां 8 ग्राम पंचायतों में।	इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिये गये। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
(vi)	राजस्थान वित्त निगम की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के क्रम में कम्पनी के लिए जन आधार आवश्यक नहीं परन्तु एकल स्वामित्त्व उपक्रम (Sole Proprietorship)/ साझेदारी उपक्रम (Partnership) के लिए जन आधार लिया जाना है।	कार्यवाही उद्योग विभाग द्वारा की जा रही है। अतः अनुपालना पूर्ण।	राजस्थान वित्त निगम
(vii)	जन आधार नामांकन/अद्यतन को और सरल, सुगम व विश्वसनीय बनाने हेतु जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक सुधारात्मक सुझावों पर अनुमोदन– ✓ जन आधार में e-KYC से लम्बित सदस्यों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किये जाने हेतु 15–15 दिवस में मैसेज भिजवाये जाने हैं, परन्तु अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने पर निर्णय परीक्षण उपरान्त लिया जाना है।	जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
	✓ पाँच वर्ष तक के सदस्यों हेतु जन आधार में जुडने के लिए जन्म प्रमाण पत्र/आधार को आवश्यक करना – • पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण–पत्र जारी होते ही जन आधार में सदस्य को स्वतः जोडना • जो सदस्य पहचान पोर्टल के माध्यम से जन आधार में स्वतः नहीं जुड सके हैं, उनके लिए पहचान पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र संख्या को दर्ज कराकर जुडने की सुविधा देना	जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। अतः अनुपालना पूर्ण।	–

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved

जन आधार

सत्यमेव जयते

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
	• पहचान पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण–पत्र के अभाव में आधार कार्ड को आवश्यक किया जाना		
	✓ अनाथ बच्चों के परिवार का जन आधार नामांकन कराने से संबंधित सुझाव अनुमोदित, परन्तु 18 वर्ष पर संरक्षक की भूमिका स्वतः ही समाप्त होने का एप्लीकेशन में प्रावधान की सुनिश्चितता की जानी है।	जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
	✓ डिम्ड सत्यापन की परिधि से बाहर की इन चारों गतिविधियों के साथ अन्य (यथा– स्थानान्तरण, विभाजन, मुखिया परिवर्तन, मुखिया / सदस्य निरस्तीकरण) सभी गतिविधियों का 45 दिवस में सत्यापन किया जाना अनिवार्य।	जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
	✓ निम्न कारणों के अन्तर्गत मुखिया / सदस्य को **अस्थाई रूप से** निष्क्रिय किया जाना– • राज्य के बाहर के निवासी परिवार में शादी • राज्य के बाहर का निवासी हो जाने के कारण • शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण निष्क्रिय किया जाना आवश्यक (यथा गुमशुदा / परिवार को छोड़ जाने पर इत्यादि) अनुमोदित तथा प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी– • द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर कलक्टर द्वारा निष्क्रिय किया जाना, • आवश्यकता होने पर निष्क्रिय सदस्य को द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर कलक्टर के द्वारा ही पुनः सक्रिय किया जाना।	आदेश जारी एव जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। अतः अनुपालना पूर्ण।	–
	✓ निम्न कारणों के अन्तर्गत मुखिया / सदस्य को **स्थाई रूप से** निष्क्रिय किया जाना– • छल कपट से जन आधार कार्ड	आदेश जारी एव जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं। अतः अनुपालना पूर्ण।	–

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved

जन आधार

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
	बनने पर • जन आधार कार्ड में काल्पनिक मुखिया/ सदस्य होने पर • जन आधार कार्ड में डुप्लीकेट सदस्य होने पर • अनुमोदित तथा प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी– • द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर कलक्टर द्वारा स्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाना।		
7.	जन आधार के नवीन नामांकन/अद्यतन में निवासियों के बैंक खातों का सत्यापन NPCI (National Payment Corporation of India) के माध्यम से किया जाना। इस प्रकार सत्यापित बैंक खातों को सत्यापन से मुक्त रखा जाना।	प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये– (i) NPCI से एमओयू किया जाना है। (ii) सत्यापन में होने वाले व्यय की अनुमति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जानी है। (iii) इस प्रकार सत्यापित बैंक खातों को सत्यापन से मुक्त रखा जाना है।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, एवं NPCI
8.	उम्रदराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाईल नम्बर नहीं होने से जन आधार में आधार से ऑनलाईन ईकेवाईसी (eKYC) नहीं हो पा रही है, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जन आधार में ऑफलाईन आधार अधिप्रमाणन का प्रावधान करना।	आधार एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफलाईन (जिन निवासियों का बायोमैट्रिक तरीको से अधिप्रमाणन संभव नही होता है) केवाईसी करवाने हेतु द्वितीय स्तरीय सत्यापन अधिकारी को अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
9.	यदि जन्म दिनांक आधार से सत्यापित नहीं होती है तो निम्नलिखित दस्तावेजों को आयु का प्रमाण माना जाना – ✓ जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ✓ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट/प्रमाण पत्र ✓ केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ पीएसयू /रेगुलेटरी निकाय/वैधानिक	प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई साथ ही इस प्रस्ताव को राजस्थान जन आधार प्रधिकरण की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
	निकाय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र **जन आधार में जन्म दिनांक अद्यतन की सीमा केवल 2 बार निर्धारित किया जाना है।**		
10.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरह राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के तहत केवल चयनित ऑपरेटर्स के माध्यम से जन आधार नामांकन व अद्यतन का कार्य करवाया जाना।	इस प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं किया गया। (i) ई–मित्र, जन आधार नामांकन एवं अद्यतन में कोई त्रुटि नहीं करे इस हेतु ई–मित्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर प्रशिक्षण दिये जाने एवं (ii) जिन ई–मित्र संचालकों द्वारा बार–बार त्रुटियां / फ्रॉड किये जा रहे है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	तकनीकी निदेशक, ई–मित्र
11.	जन आधार में सत्यापकों की भूमिका को धीरे–धीरे समाप्त करके System को Auto Verification के लिए तैयार करना ✓ बैंक खाते का एनपीसीआई पोर्टल से Integration कर Auto Verification ✓ आधार ई–केवाईसी से निवासी का नाम, फोटो, जन्मतिथि एवं लिंग Auto Verification ✓ निवासी का मूल निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र इत्यादि ई–मित्र पोर्टल से Auto Fetch ✓ जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र का पहचान पोर्टल के माध्यम से सत्यापन और नाम जोड़ना, नाम हटाना, विवाह के कारण सदस्य का स्थानान्तरण, विवाह के कारण स्वतः नामांकन।	इस प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। साथ ही जन आधार 2.0 एप्लीकेशन को RFP की शर्तों के अनुसार तय सीमा में Go Live किये जाने हेतु राजकॉम्प को निर्देशित किया गया।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
12.	ई–मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत सेवाओं के संबंध में समीक्षा।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से पत्र दिनांक 07.07.2023, 16.08. 2023, 07.05.2024, 25.09.2024 एवं 11.12.2024 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया।	तकनीकी निदेशक, ई–मित्र
13.	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को अतिरिक्त महानिदेशक तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव नामित करना।	प्रस्ताव में निम्न[illegible] के [illegible] अनुमोदित किया गया। (i) निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांखि[illegible] पदेन अति[illegible] महानिदेशक[illegible]	[illegible]शक, [illegible]जस्थान जन [illegible]धार प्राधिकरण

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved

जन आधार

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
		कार्यकारिणी समिति का सदस्य नामित करना। (ii) निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव नामित करना।	
14.	जन आधार डेटाबेस में राज्य कर्मचारियों के परिवारों के सामाजिक सुरक्षा पेंशनर सदस्यों का पता लगाने के लिए Employee ID एवं PPO Numbers का मिलान करना।	प्रस्ताव अनुमोदित।	तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प
15.	राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा।	जन आधार योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(निर्मल कुमार सेठी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 298-312 दिनांकः 31-01-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ.प्राधिकरण, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग।
7. निदेशक (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।
8. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
11. निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
14. एसीपी, मुख्यालय, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
15. सीनियर एसोसिएट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)।

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved

जन आधार

सत्यमेव जयते

जन आधार
परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30–01–2025 को आयोजित 10वीं बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री मौहम्मद जुनैद, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2.	श्री विनेश सिंघवी, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
3.	श्री निर्मल कुमार सेठी, निदेशक, राजस्थान .जन आधार प्राधिकरण।
4.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
5.	श्री उमेश जोशी, एस.ए. (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6.	श्री कौशल सुरेश गुप्ता, मैनेजर (वित्त), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि,. जयपुर।
7.	श्री ध्रुबज्योति रॉय, सीनियर एसोसिएट, एनपीसीआई।
8.	श्री सूर्यकांत गुप्ता, एसीपी, जन आधार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9.	श्री सुनील चौधरी, एसीपी, जन आधार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
10.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एसीपी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
11.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
12.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
13.	डॉ. सुरज्ञान डिडेल, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
14.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
15.	श्रीमती सविता रावत, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
16.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
17.	श्रीमती सुनिता मीणा, प्रोग्रामर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.01.31 17:50:01 IST
Reason: Approved